पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

एस.ओ. पी. क्र. - 21 दिनांक 27.07.2001

विषय :-सूबेदार (एम) (स्टेनोग्राफर)/ सहायक उपनिरीक्षक (एम) (निम्न वर्ग लिपिक) एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर[1] के पद पर भर्ती के संबंध में।

1- भरती नियम :-

(1) यह नियम छत्तीसगढ़ पुलिस की सभी शाखाओं में समान रूप से स्टेनोग्राफर (सूबेदार) "एम" सउनि (एम) (नि0व0लि0) या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर [2] की नियुक्ति चयन एवं भरती में लागू होंगें।

(2) इसके पूर्व सूबेदार (स्टेनोग्राफर) एवं सउनि (एम) (नि0व0लि0) या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर[3] की भरती के संबंध में जारी सभी परिपत्र राजपत्र आदेश तथा अन्य आदेश स्वतः निरस्त हो जावेंगे।

(3) इन नियमों के अनुमोदन के पश्चात पुलिस रेग्यूलेशन तथा संबंधित कंड़िकाओं में यथास्थान पर आवश्यक परिवर्तन किया जावेगा।

2- भरती के सक्षम अधिकारी :-

स्टेनोग्राफर (सूबेदार) "एम" तथा सउनि (एम) (निवलि) या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर[4] के नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक/सेनानी/सहायक पुलिस महानिरीक्षक अथवा उनके समकक्ष अधिकारी होंगें।

भरती चयन समिति के द्वारा की जावेगी। चयन समिति का गठन सामान्य शाखा संवर्ग के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशासन) परन्तु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक सी0आई0डी0/एस0सी0आर0बी0[5] द्वारा किया जावेगा, जबकि इकाईयों के लिये उनके नियंत्रणकर्त्ता रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जावेगा। समिति में इकाई प्रमुख (जिला पुलिस अधीक्षक/सेनानी/सहायक पुलिस महानिरीक्षक) "अध्यक्ष" होंगें तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अथवा उप पुलिस अधीक्षक स्तर के दो अन्य अधिकारी "सदस्य" होंगें। इनमें से कोई एक सदस्य इकाई से बाहर का होगा। अध्यक्ष समेत सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य अनु0 जाति अथवा अनु0 जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य होगा।

3- सेवा में नियुक्ति :-

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां केवल सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत ही की जावेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-4 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति के तरीकों द्वारा चयन किये जाने के पश्चात ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

4- नियुक्ति का तरीका :-

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जावेगी, अर्थात

(क) प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो, मूल हैसियत में धारण करते हों ।

नोटः-(1) शासन आदेशानुसार सहायक उप निरीक्षक (एम) (एल0डी0सी0) के पदों पर 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों (प्र0आर0 "एम"/आर0 "एम") के लिये आरक्षित किये गये हैं। नियुक्ति के समय सीधी भर्ती के पदों की गणना हेतु तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नोट - 1, 2, 3, 4, 5 शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-47/दो-गृह/एपुसे/2005 रायपुर दिनांक 30/11/2005 द्वारा संशोधित ।

(2) इन नियमों के उपबंधो के अध्याधीन रहते हुये सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधी के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सेवा की एकरूपता एवं दक्षता बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी।

(3) उप नियम 1 के होते हुए भी यदि सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अभिमत में यह आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उपरोक्त उप नियम 1 में दर्शाये गये तरीके से भिन्न तरीके जैसा कि आदेशित किया गया हो, भरती के लिये अपनाये जा सकते हैं ।

5- प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :-

(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के लिये विज्ञापन जारी किया जाकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे, किन्तु सूबेदार (स्टेनो) या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर[6] के पदों पर भर्ती के संबंध में पुलिस मुख्यालय यह निर्णय कर सकेगा कि इन पदों की पूर्ती हेतु विभागीय ढ़ाचे में उपलब्ध न्यूनतम अर्हतायें रखने वाले अभ्यार्थियों को नियुक्त किये जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जावे।

(2) भरती के लिये उम्मीद्वारों के चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे समयान्तर पर होगी जैसा की पुलिस मुख्यालय समय-समय पर निर्धारित करें।

(3) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगें जो म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) (अधिनियम क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रवधानों और राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग के लिये समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं। सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से महिलाओं के लिये उतने पद आरक्षित रखे जावेंगे जितने राज्य सरकार समय-समय पर पुलिस विभाग के लिये आदेशित करे। वर्तमान नियमों के अनुसार कुल विज्ञापित पदों के 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिये, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये तथा 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित होंगे । महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत कम्पार्टमेंट वाइज होरीजेंटल आरक्षण होगा । भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत पदों का होरीजेंटल आरक्षण होगा । इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा ।

उदाहरण :-

(1) उदाहरण के लिये यदि किसी इकाई में 100 पद रिक्त विज्ञापित होते हैं और रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत पद आरक्षित हैं तो क्रमशः 16, 20 और 14 कुल 50 पद इन वर्गो के लिये आरक्षित होंगे और शेष 50 प्रतिशत पद खुली प्रतियोगिता के होंगें।

(2) अब शासन के आदेशानुसार महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत कम्पार्टमेंट वाइज होरीजेंटल आरक्षण है, इसका आशय यह हुआ कि अनुसूचितजाति के 16 पदों में से 30 प्रतिशत यानि कि 5 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगें । इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 20 में से 6 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग की

नोट - 6 शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-47/दो-गृह/रापुसे/2005 रायपुर दिनांक 30/11/2005 द्वारा संशोधित ।

महिलाओं के लिये 14 में से 4 पद आरक्षित होंगे और इस प्रकार महिलाओं के लिये शेष 15 पद सामान्य एवं खुली प्रतियोगिता के वर्ग में चिन्हित होंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी जाति वर्ग में योग्य महिला उपलब्ध नहीं है तो उसी जाति वर्ग के योग्य पुरूष के द्वारा वह रिक्ति पूर्ति की जावेगी।

(3) शासन के आदेशानुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये होरीजेंटल आरक्षण के तहत सुरक्षित हैं, इसका आशय यह हुआ कि परीक्षा में बैठे योग्य भूतपूर्व सैनिकों में से मेरिट के आधार पर उच्चतम प्राप्तांक हासिल करने वाले 10 भूतपूर्व सैनिक चयन सूची में आरक्षण का लाभ पावेंगे और इनकी जो भी जाति वर्ग है उसी जाति में इनका समायोजन किया जावेगा। उदाहरण के तौर पर यदि उपरोक्त 10 में से 2 अनुसूचित जाति के, 1 अनुसूचित जनजाति का तथा 1 पिछड़े वर्ग का भूतपूर्व सैनिक योग्यता के आधार पर स्थान पाता है तो अनुसूचित जाति के 2 भूतपूर्व सैनिकों को अनुसूचित जाति के उपलब्ध 16 पदों में ही समायोजन किया जावेगा। यहां यह ध्यान रखना होगा कि सामान्य/खुली प्रतियोगिता वर्ग के जो रिक्त स्थान है उन पर मेरिट के आधार पर किसी भी जाति वर्ग का उम्मीद्वार स्थान पाने का हक रखता है और यदि इन पदों पर मेरिट के आधार पर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछडा वर्ग का उम्मीदवार चयनित हो जाता है तो उसकी गणना उसके आरक्षित वर्ग में नहीं की जावेगी।

(4) उपरोक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये ऐसे उम्मीद्वार जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछडा वर्ग के सदस्य हैं, की उसी क्रम में ही नियुक्ति पर विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में में प्रकट हुये हों भले ही अन्य उम्मीद्वारों से उनकी तुलनात्मक स्थिति भिन्न ही क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों पर अनु0जाति, अनु0 जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वार जिन्हें कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने का ध्यान रखते हुये नियुक्ति के योग्य घोषित किया है, की ही नियुक्ति की जा सकेगी।

6- सीधी भरती की पात्रता की शर्तें :-

(क) नियम 4 (1) (क) के अधीन सीधी भरती हेतु परीक्षा में भाग लेने के लिये पात्रता होने हेतु अभ्यार्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :-

(1) आयु:- (ए) परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र जमा करने के आखिरी तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।

(बी) यदि अभ्यार्थी अनु0 जाति/अनु0 जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(सी) उन अभ्यार्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतम आयु सीमा में नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुये छूट दी जावेगी :-

1 ऐसा अभ्यार्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2 ऐसा अभ्यार्थी जो स्थाई रूप से पद धारण करता हो तथा अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकतानिधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञय होगी।

3 ऐसे अभ्यार्थी को जो, छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओ का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- पद "छटनी किया गया शासकीय सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो इस राज्य या किसी संगठन या ईकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।

(4) ऐसे अभ्यार्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- पद "भूतपूर्व सैनिक" ऐसे व्यक्ति को द्योतक है जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की या सरकारी सेवा मे नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिश के फलस्रूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी हो या अधिभिष्ट घोषित किया गया हो।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हों, और

(क) अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबधी शर्तो, के पूर्ण हो जाने पर सेवामुक्त कर दिये गये हों।

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों (जिनमें अल्पवधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं)

(4) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो, कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहे ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 02 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(ड़) अनु.जाति/अनु.जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नि के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(च) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(छ) ऐसे अभ्यार्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य नियमों या मंडलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा में 36 वर्ष की आयु सीमा तक छूट दी जावेगी।

(ज) स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 08 वर्ष तक की सीमा के अधीन रहते हुए छूट दी जावेगी, किन्तु किसी भी मामलें में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप :- (1) ऊपर उप नियम (1) के खंड (ग) के उप खंड (1) तथा

(2) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यार्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो यदि वे आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छटनी की जावे तो भी वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

टीप :- (2) किसी भी अन्य आधार पर आयु में कोई छूट नहीं दी जा सकेगी।

(2) शारीरिक योग्यता :- भर्ती के लिये निम्नानुसार शारीरिक अर्हतायें होना आवश्यक है :-

(सेंटीमीटर)

	ऊंचाई
1- पुरूष	162
2- महिला	152

ऊंचाई में छूट की अनुमति पुलिस महानिदेशक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकेगी।

(सी) अभ्यार्थी में किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं होना चाहिये ।

(डी) अभ्यार्थी,नॉक-नी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। अभ्यार्थी को आँख से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये तथा आँख की तीव्रता बिना चश्में के 6/9 तथा दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहिये। मुख्य रंगो का भेद करने में अभ्यार्थी को सक्षम होना चाहिये। अभ्यार्थी को कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिये।

(ई) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) शैक्षणिक अर्हता:-

अभ्यार्थियों के पास आवेदन-पत्र जमा करते समय ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिये जो नीचे दर्शाये गये अनुसार सेवा के लिये विहित की गई हो :-

(1) सूबेदार (स्टेनो) के लिये मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 परीक्षा अथवा समकक्षीय योग्यता तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी में न्यूनतम 100 शब्द प्रतिमिनिट से डिक्टेशन लेने तथा न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनिट टाईप करने का मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ शासन् अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अथवा मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ आशुलिपि एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट।

(2) सहायक उप निरीक्षक (एम) के पद के लिये 10+2 पास अथवा समकक्षीय योग्यता प्राप्त तथा न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनिट का हिन्दी टाईपिंग करने का मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ शासन अथवा अखिल भारतीय शिक्षा परिषद अथवा मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ मुद्रलेखन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट।

(2) (अ) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद के लिये निम्नलिखित आर्हतायें होनी चाहिये:-[7]

1. हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं परीक्षा एवं
2. राज्य शासन अथवा अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 6 मांह का किसी भी स्तर का कम्प्यूटर प्रशिक्षण अथवा कम्प्यूटर विषय का प्रमाण-पत्र।

नोटः- उपरोक्त पदों के लिये उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।

(3) अपवादित मामलों में चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे व्यक्ति को अर्हित मान सकेगी जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित अन्य कोई परीक्षा, जैसे कम्प्यूटर विज्ञान की किसी भी विधा में "ओ" स्तर का 6 माही डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र, जो किसी भी आई.टी.आई., पॉलीटेकनिक अथवा अखिल भारतीय व्यवसायक शिक्षा परिषद अथवा मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त हो, इत्यादि ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की गई हो, जो चयन समिति की राय में अनुसूची में दर्शाई गई योग्यता के समकक्ष हो अथवा उससे उच्च हो।

(4) उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिये ।

(5) उम्मीदवार यदि कहीं अन्यत्र नियोजित नहीं है तो उसका मध्यप्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिये ।

(6) मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ शासन आदेशानुसार हायर सेकेण्डरी या स्नातक में से कोई भी एक परीक्षा मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ स्थित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से अर्जित की होनी चाहिये।

नोटः- अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा स्वास्थ्य के आधार पर शासकीय सेवा से हटाये गये भूतपूर्व शासकीय सेवक भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

7- परीक्षा योजनाः-

(1) सीधी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को या चयन समिति द्वारा विज्ञापित कार्यालय में चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिये प्रस्तुत करना चाहिये।
जो उम्मीदवार पूर्व से ही कहीं नियोजित हैं उन्हें अपनी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना चाहिये ।

(2) आवेदन-पत्र में उम्मीदवार को उस क्रम में उन पद (पदों) का उल्लेख स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये जिस क्रम में वह स्वयं की नियुक्ति के लिये विचार कराये जाने का इच्छुक हो।

(3) आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा गलत जानकारी देना अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाना उम्मीदवार की अयोग्यता माना जावेगा । इस कृत्य पर उम्मीदवार को नियुक्ति का अथवा शासकीय सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा और उसकी सेवायें नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

(4) आयु में सामान्य उच्चतर सीमा (28 वर्ष में) में किसी भी आधार पर छूट चाहने वाले उम्मीदवार को तत्संबंधी सुसंगत प्रमाण-पत्र आवेदन -पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

नोट - 7 शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-47/दो-गृह/रापुसे/2005 रायपुर दिनांक 30/11/2005 द्वारा संशोधित ।

इसी प्रकार जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर इन वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये दावा करना चाहता है तो उसे तत्संबंधी निर्धारित प्रारूप में[9] राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे चयन समिति द्वारा अधिकृत किये गये "अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता" द्वारा जारी परीक्षा प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा तथा साक्षात्कार मे शामिल नहीं हो सकेगा ।

(6) सीधी भर्ती हेतु चयन की प्रतियोगी परीक्षा की प्रकिया निम्नानुसार होगी।

अ- प्रथम चरण

(1) शारीरिक नापजोख :- अभ्यार्थियों का शारीरिक नापजोख नियम 6 के उपनियम 2 में उल्लेखित न्यूनतम अर्हताओं के अनुरूप किया जावेगा ।

टिप्पणीः- शारीरिक नापजोख के संबंध में विवाद की दिशा में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा नामजद चिकित्सक का निर्णय अंतिम होगा।

(2) व्यवसायिक दक्षता परीक्षा - परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

(ए) हिन्दी टंकण परीक्षा - इस परीक्षा में लगभग 500 शब्दों की मुद्रित सामग्री उम्मीद्वार को टंकण हेतु प्रदाय की जावेगी तथा उसे 20 मिनिट के अन्दर टंकित पत्र कक्ष निरीक्षक को वापस सौंपना होगा।

(बी) हिन्दी आशुलिपि परीक्षा - इस परीक्षा में लगभग 500 शब्दों की लिखित सामग्री का डिक्टेशन 100 शब्द प्रतिमिनिट के औसत गति से वाचन किया जावेगा जिसे अभ्यार्थी को आशुलिपि में लेख करना होगा और तत्पश्चात् उसको टंकण करना होगा। वाचन लेखन एवं टंकण समय मिला कर टंकित सामग्री 30 मिनिट के अंदर कक्ष निरीक्षक को सौंपनी होगी।

"(सी) कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षाः- यह परीक्षा दो भागों में आयोजित की जावेगी। प्रथम भाग के अन्तर्गत एक लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसमें सभी 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे एवं उन्हें हल करने के लिये दो घन्टे का समय दिया जावेगा। उत्तीर्ण होने के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरा भाग के अन्तर्गत डाटा एन्ट्री की स्पीड टेस्ट करने हेतु परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसमें न्यूनतम 8000 डिपरेशन प्रति घंटा की डाटा एन्ट्री स्पीड होना अनिवार्य होगा। डाटा एन्ट्री के स्पीड का केवल क्वालीफाईंग टेस्ट होगा।"[8]

नोट :- (1) हिन्दी टंकण परीक्षा सहायक उप निरीक्षक (एम) (नि0व0लि0) के लिये अनिवार्य होगी। (2) हिन्दी आशुलिपि परीक्षा सूबेदार (एम) (स्टेनोग्राफर जूनियर स्केल) के लिये अनिवार्य होगी प्रथम चरण के इस परीक्षा में समस्त प्राप्तांक जोड़कर एक प्रावीण्य सूची बनाई जावेगी जिसमें विज्ञाप्ति रिक्तियों के तीन गुने के बराबर उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये योग्य उम्मीदवारों के नाम होगें, किन्तु अंतिम उम्मीदवार जिस पर कि तीन गुने संख्या पूर्ण होती है, तक वे सभी अभ्यार्थी जिन्होंने इस अभ्यार्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हो, को द्वितीय चरण की परीक्षा में शामिल किया जावेगा भले ही अभ्यार्थियों की संख्या तीन गुने से अधिक की हो जाती है किन्तु इसमें केवल उन्हीं उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जावेंगे जिन्होने व्यवसायिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।

नोट - 8 शासन के आदेश कमांक एफ 2-47/दो-गृह/रापुसे/2005 रायपुर दिनांक 30/11/2005 द्वारा संशोधित ।

(ब) द्वितीय चरण :-

(1) लिखित परीक्षा - हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता तथा सामान्य ज्ञान परीक्षा, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी तथा परीक्षा कुल 75 अंकों की होगी। इसमें हिन्दी भाषा एवं व्याकरण 30 अंक अंग्रेजी भाषा एवं व्याकरण 15 अंक एवं सामान्य ज्ञान 30 अंक का होगा।

टिप्पणी :-यह परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य होगी। किन्तु सहायक उप निरीक्षक (एम) तथा सूबेदार (एम) (स्टेनो) "एवं डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर"[9] के लिये पृथक- पृथक मानक स्तर के प्रश्न पत्र बनाये जावेंगे।

(2) साक्षात्कार - यह 25 अंकों का होगा।

(3) बोनस अंक - (1) कार्यालय प्रक्रिया अथवा कार्यालय प्रबंधन में आई.टी.आई, पॉलीटेकनिक अथवा अखिल भारतीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था/सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमाधारी (2) कम्प्यूटर विज्ञान की किसी विधा में "ओ" स्तर का 6 माही डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र जो किसी भी आई.टी.आई, पॉलीटेकनिक अथवा अखिल भारतीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त हो "परन्तु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये बीसीए या इससे ऊपर की उपाधि तथा"[10] (3) विधि स्नातक डिग्रीधारी उम्मीदवारों को उनकी विशेषता योग्यता के लिये प्रत्येक में 5-5 बोनस अंक प्रदान किये जावेंगे। (4) अंग्रेजी आशुलेखन अथवा अंग्रेजी टायपिंग का भी ज्ञान होने पर 5 अंक बोनस के रूप में दिये जावेंगे। किसी एक उम्मीदवार को अधिकतम बोनस अंक 10 ही देय होंगे "परन्तु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये केवल अंग्रेजी आशुलेखन के लिये ही बोनस अंक दिये जावेंगे।"[11]

8. उम्मीदवार की पात्रता के विषय में समिति का निर्णय :-

(1) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रवेश हेतु अभ्यार्थी की पात्रता या अन्यथा उपयुक्तता के विषय में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(2) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता अथवा नियुक्ति के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास जो कि इन नियमों में उल्लेखित न हो नियुक्ति प्राधिकारी अथवा समिति द्वारा इसे परीक्षा में शामिल करने अथवा चयनित होने अथवा नियुक्त किये जाने के लिये अनहर्ता घोषित किया जा सकेगा।

9. समिति के द्वारा साक्षात्कार लिया जावेगा:-

(1) द्वितीय चरण की परीक्षा के लिये पात्र घोषित किये गये सभी उम्मीदवार जो कि शारीरिक नापजोख में न्यूनतम मापदण्ड पूर्ण करता हो और व्यवसायिक परीक्षा में शामिल हुए हो, का साक्षात्कार समिति द्वारा लिया जावेगा ।

(2) समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुए उम्मीदवारों का पुनः शारीरिक नापजोख योग्य प्रकरणों में अपने समक्ष कराने के लिये समिति सक्षम होगी।

(3) समिति लिखित परीक्षा अथवा व्यवसायिक दक्षता परीक्षा पुनः कराने अथवा उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन कराने के लिये कोई निर्देश नहीं दे सकेगी/नहीं कर सकेगी।

10. समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची:-

(1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा, व्यवसायिक दक्षता परीक्षा, बोनस अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी।

(2) उम्मीदवारों की प्रवीण्ता के क्रम में जिसे कि समिति के द्वारा निर्धारित मानक स्तर की अर्हता प्राप्त कर ली हो और ऐसे उम्मीदवार जो कि अनु.जाति, अनु.ज.जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के

नोट - 9.10.11 शासन के आदेश कमांक एफ 2-47/दो-गृह/रापुसे/2005 रायपुर दिनांक 30/11/2005 द्वारा संशोधित ।

हो, जिन्होने यद्यपि उपरोक्त मानक स्तर से अर्हता प्राप्त न भी की हो किन्तु समिति के अभिमत में प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने का ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति कि लिये उपयुक्त हो, की सूची प्रवीणता के क्रम में अनुमोदन अधिकारी (उ0म0नि0) को अग्रेषित करेंगे।

(3) लोक सेवा (अनु.जाति, अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व. के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति के लिये चयन सूची प्रवीणता के क्रम में उम्मीदवारों के द्वारा विभिन्न पदों के लिये दी गई वरीयता तथा उस क्रम पर पद की उपलब्धता को देखते हुए बनाई जावेगी।

11. चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः-

(1) सीधी भर्ती से सेवा में नियुक्ति उपरोक्त प्रकाशित चयन सूची में से अनुमोदन अधिकारी के अनुमोदनोपरांत ही अनुमोदित चयन सूची के अनुसार ही की जावेगी।

अनुमोदन के संबंध में वे प्रावधान ही लागू होगे जो जी.ओ.पी. 78/97 में (यथा संशोधित) आरक्षक भर्ती अनुमोदन के संबंध में दिये गये हैं।

1. यह चयन सूची प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अथवा आगामी सीधी भर्ती तक चयन सूची जारी होने के दिनांक तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगी।

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा इन नियमों में अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों के नाम उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में उनका नाम उपरोक्त सूची में उल्लेखित हुआ हो ।

3. इस सूची में किसी भी उम्मीदवार का नाम शामिल होना, उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है जब तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को ऐसी जाँच जिसे कि वह करना आवश्यक समझें, के उपरान्त यह समाधान न हो जावे।

4. नियुक्ति का प्रस्ताव चरित्र सत्यापन, मेडिकल परीक्षण तथा ऐसी अन्य जाँच जिसे कि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे के उपरांत ही किया जावेगा।

12. (1) सेवा मे सीधी भर्ती का प्रत्येक सदस्य प्रथम तथा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु नियुक्त किया जावेगा ।

(2) निर्धारित प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशिक्षण दिया जावेगा । इस बेसिक (आधारभूत) प्रशिक्षण को यथानिर्दिष्ट मानको से उत्तीर्ण करना सेवा में स्थाईकरण तथा द्वितीय वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित करने हेतु पूर्व शर्त होगी।

(3) यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा अवधि में निर्धारित स्तर तक व्यवसायिक दक्षता मानक स्तर प्राप्त करने में असफल रहता है तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। असफलता सेवा मुक्ति का पर्याप्त कारण होगी ।

13. सामान्यः-

(1) इस पुलिस राजपत्र आदेश की व्याख्या के संबंध में पुलिस मुख्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

(2) चूंकि इकाईयों में संवर्ग बहुत छोटा है और वार्षिक रिक्तियाँ इकाईवार बहुत कम है तथा पदोन्नति की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा ही कराई जाती है । अतः पुलिस अधीक्षक/ सेनानी के नियुक्तिकर्ता अधिकारी होते हुए भी आरक्षण नियमों के पालन तथा आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा ही रोस्टर संधारण कर इकाईयों को किस वर्ग का उम्मीदवार भर्ती करना है यह पुलिस मुख्यालय द्वारा ही निर्धारित किया जावेगा।

"3. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये परिशिष्ट- अ अनुसार आवेदन-पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जाता है।"[12]

स्पष्टीकरण :-वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस में स्टेनोग्राफर के पदों को छोड़कर अनुसचिवीय कर्मचारियों के निम्न संवर्ग है :-

01. पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा संवर्ग -
02. विशेष शाखा संवर्ग -
03. अपराध अनुसंधान विभाग संवर्ग -
04. जिला/इकाई संवर्ग -

वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस में स्टेनोग्राफर के पदों के निम्न संवर्ग है :-

01. पु0मु0 सामान्य शाखा एवं जिला इकाई/संयुक्त संवर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग -
02. विशेष शाखा संवर्ग -

सभी संवर्गों के लिये वर्तमान में पृथक-पृथक ग्रेडेशन सूची जारी की जाती है।

नोट - 12 शासन के आदेश कमांक एफ 2-47/दो-गृह/रापुसे/2005 रायपुर दिनांक 30/11/2005 द्वारा संशोधित ।

छत्तीसगढ़ शासन
गृह(पुलिस)विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2–47/[illegible]/गृह/2005   रायपुर, दिनांक 30 [illegible]

G.1006
3.12.05

प्रति

पुलिस महानिदेशक
छ0ग0 रायपुर

विषय — डाटा एन्ट्री आपरेटर की भर्ती हेतु एस.ओ.पी. क्रमांक– 21/01 में संशोधन बाबत।

संदर्भ — आपका पत्र क्र0 पुमु/अशाप्र/डाटाएन्ट्री आप/भर्ती नियम/22/05 दिनांक 07 मई 2005 एवं पत्र क्र0 पुमु/181/06/सीआईडी–5 दिनांक 15/9/2005

–00–

G.4276

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में एस.ओ.पी. क्र0 –21/01 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के भर्ती संबंधी नियमों का समावेश करते हुए संशोधित एसओपी लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADG(A)
DIG(CID)

(एन0एन0[illegible])
30/[illegible]
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग

SCRB

छत्तीसगढ़ शासन
गृह (गृह) विभाग
मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर

संशोधन

कमांक ..... भारत के संविधान के अनुच्छेद -309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के एस0ओ0पी0 कमांक 21 दिनांक 27/07/2001 में निम्नानुसार और संशोधन किया जाता है:-

(01.) विषय शीर्ष में सहायक उपनिरीक्षक (एम) (निम्नवर्ग लिपिक) के पश्चात निम्न शब्द जोड़े जावें :-

एवं डाटा-एंट्री ऑपरेटर।

(02) नियम 1 के उप नियम (1) एवं उप नियम 2 में स.उ.नि.(एम)(नि.व. लि.) के पश्चात निम्न शब्द जोड़े जावे :-

"या डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर"

(03) नियम 2 की प्रथम पंक्ति में स.उ.नि.(एम)(नि.व.लि.) के पश्चात

"या डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर"

एवं पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) के पश्चात

"परन्तु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईडी/एससीआरबी" जोड़ा जावे।

(04) नियम 5 (1) की दूसरी पंक्ति में सूबेदार (स्टेनो) के पश्चात

"या डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर" जोड़ा जावे।

(05) नियम 6 (3) के उप नियम (2) के पश्चात निम्नानुसार 2(अ) जोड़ा जावे

"2 (अ) डाटा-एंट्री ऑपरेटर पद के लिये निम्नलिखित आर्हतायें होनी चाहिये:-

1. हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10 वीं परीक्षा एवं
2. राज्य शासन अथवा अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 6 माह का किसी भी स्तर का कम्प्यूटर प्रशिक्षण अथवा कम्प्यूटर विषय का प्रमाण-पत्र।

नोट:- उपरोक्त पदों के लिये उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।

(06) नियम 7 (6) (अ) (2) के उपनियम (बी) के पश्चात निम्नानुसार उप नियम (सी) जोड़ा जावे:-

"(सी)
कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा - यह परीक्षा दो भागों में आयोजित की जावेगी। प्रथम भाग के अंतर्गत एक लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसमें सभी 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगें एवं उन्हें हल करने के लिये दो घण्टे का समय दिया जावेगा। उत्तीर्ण होने के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरा भाग के अंतर्गत डाटा एन्ट्री की स्पीड टेस्ट करने हेतु परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसमें न्यूनतम 8,000 डिपरेशन प्रति घंटा की डाटा एन्ट्री स्पीड होना अनिवार्य होगा। डाटा एन्ट्री के स्पीड का टेस्ट केवल क्वालीफाइंग होगा।"

(07) नियम 7 (6) (ब) के उप नियम (1) के अंत में टिप्पणी में सूबेदार (एम) (स्टेनो) के पश्चात "एवं डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर" जोड़ा जावे।

(08) नियम 7 (6) (ब) (3) के उप नियम (2) के अंत में "परन्तु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये बीसीए या इससे ऊपर की उपाधि तथा" उप नियम (4) के अंत में "परन्तु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये केवल अंग्रेजी आशुलेखन के लिये ही बोनस अंक दिये जावेंगे।"

(09) नियम 13 के उप नियम 2. के पश्चात निम्नानुसार 3. जोड़ा जावे
"3. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये परिशिष्ट- अ अनुसार आवेदन-पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जाता है।"